


तारीख मुकद	<p style="text-align: right;">जवादीया रागे</p> <p style="text-align: center;">मुकदमा का कार्यवाही एवं लघुहस्ताक्षर जज</p> <p style="text-align: right;">70/2019</p>
14-2-22	<p>14-2-22 को 19 को</p>
12-3-22	<p>वरीय लोक अदालत में प्रकाश प्रया मुकद संकाय- अनुपरिषद दिनांक- 30-3-22 को प्रस्तुत है।</p> <p style="text-align: center;">अध्यक्ष जिला न्यायालय श्रीमती. सी.पी. सिंह</p>
30-3-22	<p>पलावली आज पैस डई। वकील वादीया व पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में वकील वादीया ने न्यायालय के आदेशों व तालबी हेतु वर्ष 2009 से दिये गये 56 अवधियों के बावजूद भी प्रतिवादीगण की तालबी हेतु सम्मन तालबाना आज दिनांक तक भी पैस नहीं किया गया है। अतः वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पक्ष अन्तर्गत आदेश 9 नियम ड.सी. पी.सी. के तहत रजारीज की जाती है। पलावली कैशल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">  (दिलीप सिंह) 30/03/22 सहायक कलक्टर (कार-2 ट्रेक) भीमाघोपुर </p>

